राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट (RPET)-2013
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान
डब्लू–6, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर – 342032

वेबसाईट : http://techedu.rajasthan.gov.in www.rpet.indiaresults.com फोन : 0291–2632446 फैक्स : 0291–2430398

ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म (Option Form) भरने के दिशा निर्देश

1. आरपीईटी–2013 के माध्यम से इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को ऑन लाईन ऑप्शन फॉर्म भरना अनिवार्य है। ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म निम्न वेबसाईट द्वारा भरा जा सकता है । **1. http://techedu.rajasthan.gov.in 2. www.rpetexam.com 3.www.rpetexam.org**

- ऑनलाईन आप्शन फार्म भरने की प्रारम्भ तिथि : **10.06.2013**
- राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत e-Mitra/CSC kiosk के माध्यम से 10000 रूपये जमा कराने अन्तिम तिथि : **26.06.2013**
- ऑनलाईन आप्शन फार्म भरने की अन्तिम तिथि : **28.06.2013**

ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवम अन्य सूचनायें उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म भरने हेतु Internet Explorer 6 & above browser का प्रयोग सुनिश्चित करें।

2. **पात्रता** :– जिन अभ्यर्थीयों के नाम आरपीईटी–2013 की वरियता सूची में है तथा जो 10+2 परीक्षा भौतिकी, गणित तथा रसायन/बायोटेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर साइंस/बायोलोजी विषयों में संयुक्त रूप से 45 प्रतिशत (राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति /नॉन क्रिमीलेयर ओबीसी/ नॉन क्रिमीलेयर एसबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत) अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। अन्य न्यूनतम अहर्ताऐं आरपीईटी–2013 की वेबसाईट पर जारी किये गये सामान्य निर्देशों के अनुसार ही रहेगी।
3. विभिन्न महाविद्यालयों की अस्थाई सीट मैट्रिक्स, आरपीईटी–2013 की अधिकृत वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी गई है। **अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑप्शन फॉर्म भरने से पूर्व विस्तृत दिशा निर्देश एवं बेवसाईट पर उपलब्ध सीट मैट्रिक्स का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।**
4. नवीनतम सूचनाओं की जानकारी के लिए आरपीईटी–2013 की वेबसाईट को नियमित रूप से देखते रहे।
5. अभ्यर्थी को ऑनलाईन ऑप्शन फार्म भरते समय निम्न प्रक्रियाएं पूर्ण करनी है :–

चरण–1 : ऑप्शन फार्म के साथ 10,000 रूपये जमा कराने की प्रक्रिया :–

- ऑप्शन फार्म भरने से पहले अभ्यार्थी को 10000 रूपये राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत e-Mitra/CSC kiosk के माध्यम से जमा कराने होगे ।
- अभ्यर्थी 10015 रूपये अधिकृत e-Mitra/CSC kiosk के माध्यम से जमा करायेगे । इस राशि में से 15 रूपये e-Mitra/CSC kiosk की सेवा शुल्क के होगें।
- अधिकृत e-Mitra/CSC kiosk 16 अंको का टोकन नम्बर उत्पन कर एक कम्प्यूटरीकृत रसीद (Computer Generated Receipt) जारी करेगे जिसमें यह टोकन नम्बर प्रिन्ट होगा । यह कम्प्यूटरीकृत रसीद अभ्यर्थी को सुपुर्द कर दी जायेगी जिसे अभ्यर्थी को सुरक्षित रखना होगा ।
- ऑनलाईन ऑप्शन फार्म भरने के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट पर यह टोकन नम्बर, आरपीईटी–2013 का रोल नम्बर तथा जन्म तिथी अंकित करना होगा । उक्त डाटा की कम्प्यूटर द्वारा पुष्टी करने पर ही ऑन लाईन ऑप्शन फार्म भरने की सुविधा मिलेगी ।
- टोकन नम्बर के अभाव में अभ्यर्थी ऑन लाईन ऑप्शन फार्म नही भर पायेगे ।
- **अभ्यर्थी उपरोक्त 10000/– रूपये की राशि http://emitra.gov.in वेब साइट की सहायता से ऑनलाईन भी जमा करा सकते है। इस हेतु अभ्यर्थी को ई–मित्र की वेब साइट पर यूजर आई.डी. बनाना होगा जिसका विस्तृत विवरण ई–मित्र वेब साइट पर Register Now (Guidelines) उपलब्ध है। इन निर्देशों में यूजर आई.डी. बनाकर ऑनलाईन राशि जमा कराने की प्रक्रिया विस्तृत रूप से बताई गयी है।**

चरण–2 : ऑप्शन फार्म भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करते समय निम्न सामग्री व दस्तावेज अभ्यर्थी के पास होने चाहिऐं :–

- आर्थिक दृष्टि से कमजोर (अभिभावक के सम्पूर्ण स्त्रोतों द्वारा वार्षिक आय 4.50 रू लाख से कम) Economically weaker section के अभ्यर्थी वेबसाईट पर उपलब्ध प्रमाण पत्र संख्या 6 जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- XII उत्तीर्ण की अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि।
- यदि आरक्षित श्रेणी-I (SC, ST, Non Creamy Layer OBC, Non Creamy Layer SBC) में आते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
- सीट मैट्रिक्स के अनुसार अभ्यर्थी जिन संस्थानों एवं ब्रान्चों में प्रवेश चाहते है उनकी सूची अपनी प्राथमिकता (Choice Order) के अनुसार अलग कागज पर Name of Institute एवं Name of Branch लिख कर ऑप्शन फार्म भरने में सुविधा हेतु पहले से तैयार रखें।
- अधिकृत e-Mitra/CSC kiosk द्वारा जारी कम्प्यूटरीकृत रसीद ।

चरण–3 : ऑनलाईन ऑप्शन फार्म भरने हेतु की जाने वाली गतिविधियां :–

- अभ्यर्थी ऑनलाईन ऑप्शन फार्म भरने से पूर्व सभी निर्देशो को ध्यानपूर्वक पढे।
- अभ्यर्थी अधिकृत e-Mitra/CSC kiosk द्वारा जारी 16 अंको का टोकन, अपना आरपीईटी–2013 का रोल नम्बर, तथा जन्म तिथी अंकित कर proceed बटन क्लिक करें।
- ऑनलाईन ऑप्शन फार्म भरते समय सभी प्रविष्ठियां सही व पूर्ण रूप से भरे।
- अभ्यर्थी पहले से अपनी प्राथमिकता के अनुसार (Choice Order) में अलग पेपर पर तैयार Name of Institute एवं Name of Branch की सूची के अनुसार प्रविष्ठियां भरें। सभी Choices एक बार में ही Fill करें।
- अपनी प्राथमिकता के अनुसार संस्था एवं ब्रांच की सूची सीधे हाथ (Right Hand) की तरफ बनी Window में दिखायी देगी। प्राथमिकता बदलने हेतु किसी भी Choice को Select कर Move Up एवं Move Down बटन का प्रयोग करें तथा किसी भी Choice को हटाने हेतु Delete बटन का प्रयोग करें।
- पूर्ण आश्वस्त होने के पश्चात ही Save बटन पर क्लिक करें। ध्यान रहे कि Save करने के बाद Choices में किसी भी प्रकार का बदलाव सम्भव नहीं है।
- ऑनलाईन ऑप्शन फार्म भरने के बाद Save बटन दबाने के बाद ऑप्शन फार्म का प्रिन्ट उपलब्ध होगा।

चरण–4 :ऑप्शन फार्म की हार्डकॉपी, अधिकृत e-Mitra/CSC kiosk द्वारा जारी रसीद एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपने पास अवश्य रखें। ऑप्शन फार्म की हार्डकॉपी, अधिकृत e-Mitra/CSC kiosk द्वारा जारी रसीद एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रति आर.पी.ई.टी.–2013 कार्यालय को भिजवाने की आवश्यकता नहीं है।

6. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वो प्रवेश हेतु आवश्यक सभी न्यूनतम अर्हतकताऐं पूर्ण करते है तथा उनके द्वारा ओनलाईन ऑप्शन फार्म में भरी सभी प्रविष्टियां सही है। आर.पी.ई.टी.–2013 कार्यालय द्वारा पात्रता सबंधी एवं दस्तावेजों की किसी भी तरह की जांच नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में भरी गई प्रविष्टियों के आधार पर आंवटन सूची जारी कर दी जायेगी। अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में रिर्पोटिंग के समय सभी मूल आवश्यक दस्तावेज ले जाने होगें। आवंटित संस्थान में दस्तावेजों की जांच के समय पात्रता अथवा दस्तावेजों में यदि कोई कमी पायी जाती है तो अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।
7. अभ्यर्थी इस बात से अवगत रहे कि समन्वयक आर.पी.ई.टी.–2013 द्वारा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करने हेतु मेरिट तथा अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर संस्थान आवंटित किया जा रहा है। किसी भी स्तर पर किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा दस्तावेजों में कोई कमी पायी जाती है तो आवंटित संस्थान/संबंधित विश्वविद्यालय को ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं देने/निरस्त करने का अधिकार होगा एवं अभ्यर्थी स्वयं इसके लिये जिम्मेदार होगा।
8. प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को आरपीईटी की मेरिट में वरीयता एवं उनके द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर महाविद्यालय एवं ब्रान्च का आंवटन किया जायेगा, तत्पश्चात् द्वितीय चरण में इच्छुक अभ्यर्थियों का निर्धारित प्रकिया के तहत अपवर्ड मूवमेन्ट (Upward Movement) किया जायेगा।

प्रत्येक आवंटन सूची में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (Tution Fees Waver Scheme) के नियमानुसार लाभार्थियों की सूची का निर्धारण मेरिट के अनुसार किया जायेगा। इस हेतु केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर (जिनके परिवार की सभी स्रोतों से आय 4.50 रू लाख से कम) वर्ग के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। आवंटित संस्थान में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आर्थिक दृष्टि से कमजोर (जिनके परिवार की सभी स्रोतों से आय 4.50 रू लाख से कम) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उसको Tution Fees Waver Scheme का लाभ नहीं दिया जावेगा।

9. आरपीईटी–2013 से सम्बन्धित संस्थान निम्नानुसार विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त है :–

Sr. No.	Name of College	Govt./ Private College	University	Govt./ Private University
1.	M.B.M. Engineering College, Jodhpur	Govt.	Jai Narayan Vyas University, Jodhpur	Govt.
2.	College of Technology and Engineering, Udaipur	Govt.	Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur	Govt.
3.	All other Institutes Except above	Govt./ Private	Rajasthan Technical University, Kota	Govt.

समन्वयक